**भारत सरकार**

**श्रम और रोजगार मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1055**

**बुधवार, 29 जुलाई, 2015/ 7 श्रावण, 1937 (शक)**

**श्रम वि‎धियों का संशोधन**

**1055. श्री रीताब्रता बनर्जी:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार श्रम वि‎धियों में संशोधन करने का विचार रखती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कारखाना प्रबंधन कर्मचारियों की संख्या 300 से कम होने पर कर्मचारियों को निकाल सकता है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्री बंडारु दत्तात्रेय)**

(क): सरकार ‎विभिन्न श्रम ‎विधानों में संशोधन करने पर ‎विचार कर रही है ता‎कि उभरते आ‎र्थिक एवं औद्यो‎गिक प‎रिदृश्य में उन्हें और अ‎धिक प्रभावी एवं समवर्ती बनाया जा सके। विधान ‎जिनमें संशोधन संबंधी प्रस्ताव ‎विचार के ‎विभिन्न स्तरों पर हैं, ‎निम्नवत हैं:

(i) बाल श्रम (प्र‎तिषेध एवं ‎विनियमन) अ‎धिनियम, 1986

(ii) कारखाना अ‎धिनियम, 1948

(iii) खान अ‎धिनियम, 1952

(iv) कर्मचारी भ‎विष्य ‎निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अ‎धिनियम, 1952

(v) भवन एवं अन्य स‎न्निर्माण कर्मकार (रोजगार एवं सेवा शर्तों का ‎विनियमन) अ‎धिनियम, 1996

(vi) भवन एवं अन्य स‎न्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अ‎धिनियम, 1996

(vii) न्यूनतम मजदूरी अ‎धिनियम, 1948

(viii) ठेका श्रम (‎विनियमन एवं उत्सादन) अ‎धिनियम, 1970

(ix) अंतर्रा‎ज्यिक प्रवासी कर्मकार (रोजगार एवं सेवा शर्तों का ‎विनियमन) अ‎धिनियम, 1979

(x) बोनस संदाय अ‎धिनियम, 1965

(xi) कर्मचारी राज्य बीमा अ‎धिनियम, 1948

(ख) और (ग): औद्यो‎गिक ‎विवाद अ‎धिनियम, 1947 के अध्याय V ख में यह ‎विहित है ‎कि य‎दि ‎कोई कारखाना, खान अथवा बागान जैसा कोई प्र‎तिष्ठान 100 अथवा 100 से अ‎धिक कर्मकारों को ‎नियो‎‎जित करता है तो उस प्र‎तिष्ठान को समु‎चित सरकार अथवा सरकार द्वारा ‎वि‎‎निर्दिष्ट प्रा‎धिकारी से कामबंदी अथवा कर्मकारों की छंटनी करने से पूर्व अनुम‎ति लेनी होगी।

\*\*\*\*\*